संख्या 646 /37-3-2017-5/(51)/2014टी.सी.

प्रेषक,

सुधीर एम0बोबड़े,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 27 जून 2017

विषयः-**पशुपालन विभाग के समूह "ग एवं घ" के कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3516/37-1-14-5(51)/2014 दिनांक 05 नवम्बर 2014, शासनादेश संख्या-427/37-3-16-5(51)/2014 दिनांक 30 जून 2016 एवं शासनादेश संख्या-740/37-3-16-5(51)/ 2014 दिनांक 23 अगस्त 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पशुपालन विभाग के समूह "ग एवं घ" के कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-2/2017/1/3/96-का-4-2017 दिनांक 03.05.2017 द्वारा प्रख्यापित स्थानान्तरण नीति में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुपालन के क्रम में निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट की जा रही हैः-

(i) एक मण्डल में अन्तर-जनपदीय(inter district) कार्मिकों का स्थानान्तरण नियुक्ति प्राधिकारी/मण्डल स्तर का सक्षम अधिकारी द्वारा 30 जून तक किये जायेगें। 30 जून के पश्चात ऐसे कार्मिकों का स्थानान्तरण का अनुमोदन स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश दिनांक 03.05.2017 के प्रस्तर-9 के अन्तर्गत निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी अर्थात निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 से किया जायेगा। 30 जून के पश्चात होने वाले ऐसे स्थानान्तरणों के विषय में शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-1, 2 एवं 4 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

s

(ii) अन्तर–मण्डलीय (inter-division) स्थानान्तरण के प्रकरण में सम्बन्धित दोनों जनपदों के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति के आधार पर ऐसे कार्मिकों का स्थानान्तरण दिनांक 30 जून तक निदेशक, प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रस्तर–2 के बिन्दु संख्या–1,2, एवं 4 में उल्लिखित व्यवस्था यथावत रहेगी। दिनांक 30 जून के पश्चात् जिन कार्मिकों का अन्तर–मण्डलीय (inter-division) स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो वहाँ के सम्बन्धित दोनों जनपदों के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति एवं निदेशक,प्रशासन एवं विकास द्वारा स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन (अर्थात निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च) को अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा। शासन के अनुमोदन के उपरान्त अन्तर–मण्डलीय (inter-division) स्थानान्तरण किये जायेंगे। 30जून 2017 के पश्चात ऐसे कार्मिकों के अन्तर–मण्डलीय स्थानान्तरण के संबंध में शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रस्तर–2 के बिन्दु संख्या–1,2,3 एवं 4 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– कृपया उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्थानुरुप स्थानान्तरण नीति 2017 क्रियान्वित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

27/6/17

(सुधीर एम0बोबड़े)
प्रमुख सचिव

संख्याः–646(1)/ 37–3–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,ग्रेड–2,पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक,पशुपालन विभाग।

2–संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3–समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।

4–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव

S